न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2012 (उदयपुर आर्डर)

श्री गोपीलाल पिता मोड़ीलाल जी नागदा ब्राह्मण निवासी सीसारमा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर मृतक के बजाय :–

1/1– श्री मथुरेश नागदा पिता स्व. गोपीलाल जी नागदा निवासी सीसारमा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

1/2– श्री ख्यालीलाल पिता स्व. गोपीलाल जी नागदा निवासी सीसारमा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

1/3– श्री प्रेमशंकर पिता स्व. गोपीलाल जी नागदा निवासी सीसारमा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर (राज0)
2. उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग उदयपुर (राज0)
3. तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर उदयपुर दिनांक 21–07–2011 प्रकरण संख्या प.12/3 (470) राज./आव./11/2248–52

———/———

उपस्थित :– 1– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट्स

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

——————/——————

आदेश **दिनांक 09–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आवंटन आदेश क्रमांक प.12/3 (470) राज./आव./11/2248–52

दिनांक 21–07–2011 से वर्णित किया गया है कि दिनांक 9–2–2009 को आदेश क्रमांक 356–59 से जनजाति छात्रावास बालिका सीसारमा हेतु सीसारमा की आराजी नंबर 8263, आराजी नंबर 5433/2684 किता–2 रकबा .33 हैक्टर भूमि निशुल्क आवंटित की थी। चूंकि जनजाति क्षैत्रिय विकास विभाग के अवगत करने पर छात्रावास सीसारमा के स्थान पर बालिका छात्रावास बछार में भूमि आवंटित की जा चुकी है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 9–2–2009 में वर्णित भूमियों का जनजाति बालिका छात्रावास सीसारमा को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर उपरोक्त विवादित भूमियों को अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास उदयपुर को आवंटन नियम 1963 के तहत भूमियां आवंटित किये जाने के आदेश दिनांक 21–7–2011 को जारी किया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन आदेश 21–7–2011 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन आदेश दिनांक 21–7–2011 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 24–11–2012 को पेश की।

अपील के साथ दफा–96 जाब्ता दीवानी का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयों पर वह 70 वर्ष से अधिक समय से काबिज होकर मकान व बाउण्ड्रीवाल बना रखे है। उसे सुने बिना व जांच के बिना उक्त आवंटन किया गया है। अतएव उसके हितबद्ध पक्षकार होने से उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाय। उक्त आवेदन पर अपीलान्ट अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अपीलान्ट को दफा–96 जाब्ता दीवान पर सुना गया तो यह पाया कि गत 70 वर्षो से उसका कब्जा होने बाबत् कोई साक्ष्य नहीं है, जिसे विधि अनुरूप पढ़ा जा सके पेश नहीं की है तथा जो भी फोटोप्रतियां पेश की है, उससे भी उसका 70 वर्षो का कब्जा सिद्ध नहीं होता। वैसे भी निर्विवादित रूप से भूमि राजकीय भूमि होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आंवटित की गई है तथा समाज के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के छात्रावास के लिए उक्त भूमि आवंटित की गई है।

अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा फोटोग्राफ से भी उक्त भूमि पर उसका कब्जा होने के स्थान पर राजकीय भवन होने के अलामात दिखते है। अपीलान्ट का पुराना कब्जा/अतिक्रमण राजकीय भूमि पर होना तथा उसे

नियमन का पात्र होने बाबत भी कुछ वर्णित नहीं है। विधि अनुरूप राजकीय भूमि पर अतिक्रमी का कोई लोकस स्टेण्डाई भी नहीं होता।

उपरोक्तानुसार अपीलान्ट का 70 वर्षो का कब्जा होने व अतिक्रमण की नियमन पात्रता होने बाबत् कोई साक्ष्य नहीं होने तथा अतिक्रमी का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से उसे अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा दिये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। अतएव दफा–96 जाब्ता दीवानी का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जा सकता। आवेदन दफा–96 जाब्ता दीवानी खारिज किया जाता है एवं तद्नुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21–7–2011 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर